

छावनी बोर्ड के विभिन्न बोर्ड, सेंट थॉमस माउंट की साधारण बैठक का कार्यवृत्त 30-04-2022 को 12.30 बजे छावनी बोर्ड के कार्यालय में आयोजित, सेंट थॉमस माउंट

उपस्थित सदस्य

1. ब्रिगे. शिव टी. वीएसएम, अध्यक्ष
2. श्री. सी दिनेश कुमार रेड्डी, सदस्य सचिव
3. श्री. पी.ए. गुना, मनोनीत सदस्य

1. टिप्पण

जीईएम पोर्टल के माध्यम से एबीएस सेल के लिए तकनीकी एसोसिएट्स को काम पर रखने के संबंध में सर्कुलेशन दिनांक 05-04-2022 द्वारा एजेंडा संकल्प को नोट करना।

संकल्प सं: 01: नोट और स्वीकृत।

2. सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम में छावनी बोर्ड के अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति

संदर्भ: सीबीआर नंबर 03 दिनांक 29.01.2022

छावनी बोर्ड अस्पताल सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम को क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, 2010 के अनुसार मौजूदा स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं को लेवल IA से IB में अपग्रेड करने का प्रस्ताव है। इसे बोर्ड में रखा गया है और बोर्ड ने अपने संकल्प संख्या 03, दिनांक 29.01.2022 . द्वारा अनुमोदित किया अनुबंध के आधार पर छावनी अस्पतालों के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों जैसे जनरल फिजिशियन, जनरल सर्जन, बाल रोग विशेषज्ञ, एनेस्थेटिस्ट और क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट को नियुक्त करना। 25.02.2022 को हिंदू समाचार पत्र (अंग्रेजी और तमिल संस्करण) में विज्ञापन के जवाब में आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा, SEMO, सैन्य अस्पताल से उपरोक्त पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के लिए एक सदस्य को नामित करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, SEMO ने साक्षात्कार आयोजित करने के लिए सदस्यों को नामित किया है। तदनुसार सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम में छावनी बोर्ड अस्पतालों में अनुबंध के आधार पर सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित विशेषज्ञ डॉक्टरों का चयन किया गया है :-

क्रम संख्या	पद का नाम	साक्षात्कार आयोजित अधिकारी का नाम	तिथि और समय	चयनित उम्मीदवारों का नाम	मानदेय
1.	सामान्य चिकित्सक	लेफ्टिनेंट कर्नल गौतम सिंह	22.03.2022 पर 1100 बजे	डॉ बी.एम अर्चना	रु. 2,000/- प्रति विज़िट (02 घंटे/दिन)
2.	जनरल सर्जन	लेफ्टिनेंट कर्नल वासु निकुंजो	25.03.2022 पर 1100 बजे	डॉ जयप्रिया रामास	रु. 2,000/- प्रति विज़िट (02

					घंटे/दिन)
3.	बच्चों का चिकित्सक	मेजर अरुणव घोष	28.03.2022 पर 1100 बजे	डॉ आर सोमशेखर	रु. 2,000/- प्रति विज़िट (02 घंटे/दिन)
4.	एनेस्थेतिस्ट	लेफ्टिनेंट कर्नल गिरीश ए	19.03.2022 पर 1100 बजे	डॉ सत्य नारायणन के	रु. 1,500/- मामले के अनुसार
5.	क्लिनिकल पैथोलॉजिस्ट	लेफ्टिनेंट कर्नल पारिजात दासो	23.02.2022 पर 1100 बजे	डॉ सुप्रिया वर्मा	रु. 25,000/- प्रति महीने (08 घंटे/दिन)

अतः बोर्ड उपरोक्त मानदेय पर 11 महीने की अवधि के लिए कैंटोनमेंट अस्पताल, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में अनुबंध के आधार पर उपरोक्त विज़िटिंग विशेषज्ञ डॉक्टरों को नियुक्त करने पर विचार और अनुमोदन कर सकता है।

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 02: बोर्ड ने 11 महीने की अवधि के लिए एजेंडा पक्ष में उल्लिखित कैंटोनमेंट अस्पतालों, सेंट थॉमस माउंट और पल्लावरम में अनुबंध के आधार पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति पर विचार और अनुमोदन किया।

3. छावनी विद्यालयों में संविदा के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति

संदर्भ: सीबीआर नंबर 6, दिनांक 29-01-2022

31.05.2022 तक एक माह के लिए संविदा के आधार पर निम्नलिखित शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार एवं अनुमोदन करना।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि सीबीआर संख्या 06 दिनांक 29.01.2022 के अनुसार निम्नलिखित शिक्षकों को 30.04.2022 तक छावनी बोर्ड के स्कूलों में लगाया गया था। इस संबंध में तमिलनाडु सरकार ने स्कूल कार्य दिवस को 13.05.2022 तक बढ़ाने का निर्देश दिया है। उपरोक्त के आधार पर विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिका ने बोर्ड से निम्नलिखित संविदा शिक्षकों की संविदा अवधि 31.05.2022 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।

क्रम संख्या	नाम	मानदेय	क्रम संख्या	नाम	मानदेय
1.	श्रीमती जे वेधावल्ली	18560	22.	टी. तमिलसेल्वी	18560
2.	श्रीमती वी लता	36400	23.	आर. अनीता सिंह	18560
3.	ई. ग्रेस	36400	24.	जे. एंजेलीना शीबा	18560
4.	जी. सबिथा	36400	25.	एस. वसंत:	18560

5.	डी. रवि	18560	26.	एन. विजयलक्ष्मी	18560
6.	आई. हेलेन जॉयस	18560	27.	वाई. जॉय	18560
7.	आर. शांति	18560	28.	अनीता सेल्वि	18560
8.	आर. शांति	10000	29.	सुबाशिनी	18560
9.	जे पी विक्टोरिया	18560	30.	मीनाक्षी	18560
10.	के. अमुथा	18560	31.	साई ईश्वरी	18560
11.	ए. वेलंकन्नी मारिया	18560	32.	कस्तूरी	18560
12.	थेन्नाझगी	18560	33.	जयती	18560
13.	जूडिथ राहेल	18560	34.	रूबी मनोनमनी	18560
14.	सैंडा मटिल्डा	18560	35.	इंद्र	18560
15.	नरगिस बेगम	18560	36.	भुवनेश्वरी	18560
16.	पेराथु सेल्वि	18560	37.	क्रिस्टिनल	18560
17.	जी मार्गरेट मालिनी	36400	38.	जयसुधा	18560
18.	शांताकुमारी	10000	39.	किरुबा	18560
19.	के. मालथी	18560	40.	पी. मारि	18560
20.	एन. दिवाकरणी	18560	41.	हेमलता	18560
21.	बी. निशांति	18560			

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 03: बोर्ड ने 02.05.2022 से 31.05.2022 तक की अवधि के लिए एजेंडा पक्ष में उल्लिखित छावनी स्कूलों में अनुबंध के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार किया और ठेकेदार के माध्यम से सगाई के लिए ई-निविदा को अंतिम रूप देने के लिए अनुमोदित किया।

4. उप प्रभाग

मंगलियम्मन कोइल स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट में डोर नंबर 4/92-42-ए वाली संपत्ति के लिए अलग से अपना नाम दर्ज करने का अनुरोध करने वाले निम्नलिखित आवेदकों पर विचार करने के लिए, संपत्ति कर के भुगतान के लिए श्री कस्तूरी राजेंद्रन के नाम पर है। प्रत्येक व्यक्ति के भुगतान का वितरण इस प्रकार है: -

क्रम संख्या	दरवाजा नंबर	नाम	ई.आरवी	पी.एआरवी	टिप्पणियां
1.	4/92-42-A	श्रीमती कस्तूरी राजेंद्रन	18630	-	-
1.	4/92-42-A	श्री आर सुरेश बाबू	-	10800	इस तिथि से 01.04.2022
2.	4/92-42-A-1	श्री आर मुकेश बाबू	-	12000	
3.	4/92-42-A-2	श्री आर सतीश बाबू	-	10800	

इस संबंध में संबंधित दस्तावेज पटल पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 04: माना और स्वीकृत किया गया। बोर्ड ने संकल्प किया कि बी-2 पट्टा भूमि (गैर-रक्षा भूमि) पर संपत्तियों का उप-विभाजन, जैसा कि एजेंडा में उल्लेख किया गया है, इस शर्त के अधीन अनुमति दी जा सकती है कि यह विशुद्ध रूप से कराधान के उद्देश्य के लिए है और अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को मान्य नहीं करता है, यदि कोई उक्त साइटों में शामिल है या तो पता चला है या पता नहीं चला है। बोर्ड ने आगे संकल्प किया कि उप-विभाजन प्रदान करना छावनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार आवेदकों द्वारा किए गए किसी भी अपराध को वैध बनाने के बराबर नहीं होगा और अधिकारों के पूर्वाग्रह के बिना है और छावनी बोर्ड/रक्षा मंत्रालय/भारत सरकार के हित।

5. छावनी पल्लावरम में आरएस संख्या 756 भाग (जीएलआरएस नं. 388/284-सी) वाली राज्य सरकार की भूमि पर राजस्व निरीक्षक कार्यालय और ग्राम प्रशासनिक कार्यालय के प्रस्तावित निर्माण के लिए नगरपालिका की ओर से राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र

तहसीलदार, पल्लावरम तालुक से प्राप्त पत्र संख्या 1126/2021/ए1 दिनांक 09.03.2022 पर विचार करने के लिए ग्राम प्रशासनिक कार्यालय के प्रस्तावित निर्माण के लिए नगर निगम के दृष्टिकोण से अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध करने के लिए और सिविल क्षेत्र के भीतर स्थित 2178 00 वर्ग फुट की सीमा में आर एसएनंबर 756 भाग (जीएलआरएस संख्या 388/284-सी के अनुरूप) वाली राज्य सरकार की भूमि पर पल्लावरम छावनी में राजस्व निरीक्षक कार्यालय।

इसलिए बोर्ड ग्राम प्रशासनिक कार्यालय के प्रस्तावित निर्माण के लिए नगर निगम की दृष्टि से एनओसी देने पर विचार और अनुमोदन कर सकता है और राजस्व निरीक्षक कार्यालय, जैसा कि ऊपर बताया गया है, निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

1. राज्य सरकार के संबंधित विभाग को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 235 के तहत ग्राम प्रशासनिक कार्यालय और राजस्व निरीक्षक कार्यालय के प्रस्तावित निर्माण के लिए निर्माण योजना के लिए स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड से संपर्क करना होता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 05: ग्राम प्रशासनिक कार्यालय एवं राजस्व निरीक्षक कार्यालय के राज्य सरकार की भूमि पर आर एस नं. 756 भाग (जीएलआरएस संख्या 388/284-सी) के प्रस्तावित निर्माण हेतु नगर निगम की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वीकृत एवं स्वीकृत 2178.00 वर्ग फुट की सीमा में इस शर्त के अधीन कि राज्य सरकार के संबंधित विभाग को छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 235 के तहत ग्राम प्रशासनिक कार्यालय और राजस्व निरीक्षक कार्यालय के प्रस्तावित निर्माण के लिए भवन योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए छावनी बोर्ड से संपर्क करना होगा। उक्त कार्य प्रारंभ होने से पूर्व ।

6. सी पल्लावरम में इंदिरा गांधी रोड में यात्री बस शेल्टर के निर्माण के लिए निविदा

संदर्भ : ई-निविदा सूचना संख्या एसटीएम/वर्क्स/0758 दिनांक 18.03.2022.

उपरोक्त संदर्भ में उद्धृत निविदा सूचना के माध्यम से, छावनी बोर्ड ने 22.03.2022 को defproc.gov.in वेबसाइट पर सी पल्लावरम में इंदिरा गांधी रोड पर यात्री बस आश्रय के निर्माण के लिए ई-निविदा प्रकाशित की और इसे 22.03.2022 को हिंदू तमिल दैनिक समाचार पत्र और 22.03.2022 को हिंदू अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र जैसे समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था।

विषय निविदा के लिए तकनीकी बोली 18.04.2022 को छावनी बोर्ड के कार्यालय में 1700 बजे खोली गई थी और पाया गया कि मेसर्स कादंबरी कंस्ट्रक्शन, नंबर 113/48-ए, धर्मन स्ट्रीट, जाफरखानपेट, चेन्नई - 600 083 नामक एक निविदाकर्ता ने निविदा में भाग लिया। विषय निविदा को सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 173 (xx) के अनुसार संसाधित किया जाता है, जो स्पष्ट करता है कि

"यहां तक कि जब केवल एक बोली जमा की जाती है, तो प्रक्रिया को वैध माना जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

- अ. खरीद को संतोषजनक ढंग से विज्ञापित किया गया था और बोली जमा करने के लिए पर्याप्त समय दिया गया था।
- आ. योग्यता मानदंड अनुचित रूप से प्रतिबंधात्मक नहीं थे; तथा
- इ. बाजार मूल्यों की तुलना में कीमतें उचित हैं"

चूंकि उपरोक्त शर्तों को पूरा किया गया है और तकनीकी मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, विषय निविदा के लिए वित्तीय बोली 23.04.2022 को छावनी बोर्ड के कार्यालय में 1700 बजे खोली गई थी। मेसर्स कादंबरी कंस्ट्रक्शन, नंबर 113/48-ए, धर्मन स्ट्रीट, जाफरखानपेट, चेन्नई - 600 083 ने विषय निविदा के लिए रु.8,78,694.76 / - (जीएसटी सहित) की दर उद्धृत की। यह दर निविदा की अनुमानित लागत/प्रकाशित राशि रु. 8,90,000/- से कम है।

उपरोक्त के आलोक में, बोर्ड मेसर्स कादंबरी कंस्ट्रक्शन, नंबर 113/48-ए, धर्मन स्ट्रीट, जाफरखानपेट, चेन्नई - 600 083 द्वारा उद्धृत दर पर विचार और अनुमोदन कर सकता है, जिसकी रु.8,78,694.76 / - (जीएसटी सहित) पल्लावरम छावनी में इंदिरा गांधी रोड पर यात्री बस शेल्टर के निर्माण के लिए।

संकल्प सं: 06: सीईओ ने सूचित किया है कि विधायक अलंदूर निर्वाचन क्षेत्र ने स्थानीय क्षेत्र विकास (एलएडी) योजना के तहत विषय कार्य के लिए धनराशि प्रदान की है। चूंकि विषय कार्य सार्वजनिक उपयोगिता का है, इसलिए इस पर सहमति बनी है। भविष्य में, सार्वजनिक उपयोगिता के आधार पर ऐसे किसी भी मामले पर मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। इसलिए, इसे 8,78,694.76 रुपये (जीएसटी सहित) की न्यूनतम दर पर माना और स्वीकृत किया गया है सी पल्लावरम में इंदिरा गांधी रोड में यात्री बस शेल्टर के निर्माण के लिए मेसर्स कादंबरी कंस्ट्रक्शन, नंबर 113/48-ए, धर्मन स्ट्रीट, जाफरखानपेट, चेन्नई - 600 083 द्वारा उद्धृत।

7. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 235 के तहत भवन निर्माण आवेदन

श्री अजीजुर रहमान शरीफ, नंबर 7 (पुराना नंबर 4), अय्यमपेरुमल स्ट्रीट, बालाजी नगर, रोयापेट्टा, चेन्नई - 600 014 से प्राप्त भवन योजना आवेदन (योजना) दिनांक 20.04.2022 पर विचार करने के लिए प्लॉट नंबर 3, टैनरी स्ट्रीट, सी पल्लावरम, चेन्नई - 600 043 में भूतल में वाणिज्यिक भवन और पहली मंजिल में वाणिज्यिक भवन के प्रस्तावित निर्माण के लिए अनुमति का अनुरोध। सी पल्लावरम (वार्ड नंबर VII) में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस संख्या 388/299 भाग, आरएस संख्या 772 भाग, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत विषय भूमि। छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के अनुसार, बोर्ड अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित भूमि के लिए भवन योजना को मंजूरी देने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। इसलिए इसे मंजूरी के लिए बोर्ड के समक्ष रखा गया है।

इंजीनियरिंग अनुभाग ने बताया है कि सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण शामिल नहीं है। एई/जेई की रिपोर्ट के अनुसार, भवन योजना भवन उपनियमों और एफएसआई प्रतिबंधों के अनुरूप है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 07: माना और स्वीकृत किया गया कि बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 234 के तहत भवन योजना को मंजूरी देने का संकल्प लिया, छावनी बोर्ड की धाराओं और उप-नियमों के तहत शर्तों के अनुरूप और अन्य लागू प्रावधानों/अधिनियमों के तहत कार्रवाई करने के लिए बोर्ड के अधिकारों और हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना।

8. भवन योजना आवेदनों, सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी बोर्ड की ऑनलाइन स्वीकृति के लिए लगने वाले शुल्कों का मानकीकरण

संदर्भ : अध्यक्ष, डीएसी/प्रधान निदेशक, रक्षा संपदा, पश्चिमी कमान, चंडीगढ़ - 160009 पत्र संख्या 15/927/डीएसी/सी/डीई/डब्ल्यूसी/2022/2 दिनांक 17.02.2022.

छावनी बोर्ड ने सर्कुलेशन द्वारा एजेंडा संकल्प दिनांक 16.11.2021 और सीबीआर संख्या 2 (ई) दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से सेंट थॉमस माउंट सह पल्लावरम छावनी से संबंधित सभी भवन योजना आवेदनों को संसाधित करने के लिए दरों को संशोधित करने के लिए अनुमोदित किया। तदनुसार, इस संबंध में छावनी बोर्ड द्वारा नीचे उल्लिखित प्रभार लगाए जा रहे हैं।

i) आवासीय भवनों के लिए

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	छावनी बोर्ड दरें (रुपये में)
1.	बिल्डिंग लाइसेंस शुल्क	वर्ग मीटर	70/-
2.	सेप्टिक टैंक	नंबर	80/-
3.	सीढ़ी	नंबर	80/-

4.	स्नानघर	नंबर	80/-
5.	क्लोसेट धो	नंबर	40/-
6.	शौचालय	नंबर	80/-
7.	ओवर हेड टैंक	नंबर	100/-
8.	यौगिक दीवार	आरएमएस	60/-
9.	विध्वंस शुल्क	वर्ग फुट	3/-
10.	सामग्री डंपिंग शुल्क	साइट	3000/-

ii) गैर आवासीय भवनों के लिए

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	छावनी बोर्ड दरें (रुपये में)
1.	बिल्डिंग लाइसेंस शुल्क		
a.	400 तक	वर्ग मीटर	100/-
b.	400 से ऊपर	वर्ग मीटर	153/-
2.	सेप्टिक टैंक	नंबर	150/-
3.	ओवर हेड टैंक	नंबर	150/-
4.	यौगिक दीवार	आरएमएस	90/-
5.	विध्वंस शुल्क		
a.	आरसीसी और मद्रास टेरेस रूफ बिल्डिंग	वर्ग मीटर	140/-
b.	कंट्री टाइल वाली एसी शीट और जिक शीट रूफ बिल्डिंग	वर्ग मीटर	110/-
c.	परिसर की दीवार आदि,	30 वर्ग मीटर	90/-
6.	सामग्री डंपिंग शुल्क	साइट	15000/-

iii) अन्य शुल्क

क्रम संख्या	विवरण	इकाई	छावनी बोर्ड दरें (रुपये में)
1.	बोर वेल एंड वेल		
a.	आवासीय के लिए	नंबर	2000/-
b.	वाणिज्यिक के लिए	नंबर	4000/-
2.	साइट अनुमोदन		
a.	आवासीय के लिए	नंबर	2000/-
b.	वाणिज्यिक के लिए	नंबर	4000/-

3.	अटेस्टेड डू कॉपी		
a.	A3 आकार के लिए	नंबर	120/-
b.	A2 आकार के लिए	नंबर	240/-
c.	A1 और ऊपर के आकार के लिए	नंबर	360/-
4.	फॉर्म ए और फॉर्म बी आवेदन (भवन आवेदन)	नंबर	300/-

इस बीच, सभी छावनी बोर्डों के लिए विभिन्न प्रकार की दरों/शुल्कों/प्रभारों को मानकीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

इस सम्बन्ध में, शुल्क तय करने के लिए छावनी बोर्डों को पत्र संख्या 15/927/डीएसी/सी/डीई/डब्ल्यूसी/2022/2 दिनांक 17.02.2022 के माध्यम से अध्यक्ष, डोमेन सलाहकार समिति द्वारा मानक दरों/शुल्क/प्रभारों की निम्नलिखित श्रेणियां परिचालित की जाती हैं।

- i) भवन योजना आवेदन शुल्क (आवासीय/वाणिज्यिक)
- ii) प्रसंस्करण/जांच शुल्क
- iii) विकास शुल्क
- iv) श्रम/उपकर
- v) विविध शुल्क/अन्य शुल्क

तदनुसार, निम्नलिखित शुल्क विचार और अनुमोदन के लिए रखे गए हैं।

क्रम संख्या	प्रभार/ शुल्क/ दरें	स्थान	संपत्ति की प्रकृति		
			आवासीय	व्यावसायिक	लाभप्रद
1.	भवन योजना आवेदन शुल्क	अंदर	रु.300	रु.300	रु.300
		बाहर	रु.300	रु.300	रु.300
2.	(अ) प्रसंस्करण शुल्क/जांच शुल्क प्रति वर्ग मीटर	अंदर	रु.10.764	रु.16.146	रु.21.528
		बाहर	रु.10.764	रु.16.146	रु.21.528
	(आ) प्रति भवन आवेदन की जांच शुल्क के लिए न्यूनतम शुल्क	अंदर	रु.500	रु.2000	रु.5000
		बाहर			
3.	विकास शुल्क प्रति वर्ग मीटर	अंदर	रु.400	रु.800	रु.1200
		बाहर	रु.400	रु.800	रु.1200
4.	श्रम उपकर	अंदर	निर्माण लागत का 1%		
		बाहर			

5.	अन्य शुल्क, यदि कोई हो	अंदर	शून्य
		बाहर	

❖ आकर्षक संपत्ति का अर्थ है सिनेमा थिएटर, पेट्रोलियम पंप / बंक, सर्कस, मल्टीप्लेक्स मॉल, स्टार होटल और हवाई अड्डे।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड उपरोक्त शुल्कों/शुल्क/दरों पर विचार और अनुमोदन कर सकता है।

संबंधित फाइलें टेबल पर रखी गई हैं।

संकल्प सं: 08: कार्यसूची के पैरा संख्या (4) में उल्लिखित प्रभारों/शुल्कों/दरों पर 01-05-2022 से विचार और अनुमोदन किया जाता है।

9. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करना

श्री एस के गुप्ता, नंबर 16, क्रिसेंट स्ट्रीट, ए0बीएम एवेन्यू, राजा अन्नामलाईपुरम, चेन्नई 600 028 से प्राप्त पत्र दिनांक 30.03.2022 पर विचार करने के लिए, द्वार संख्या 1/48, संख्या 212, ऑफिसर्स लेन रोड, वेटरन लाइन्स, सी.पल्लावरम, चेन्नई- 600 043 में निर्मित उनके भवन के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र का अनुरोध।

जीएलआरएस नंबर 388/255, संबंधित आरएस नंबर 50/2, बी 2 भूमि (निजी / पट्टा भूमि) के रूप में वर्गीकृत, सी पल्लावरम के अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित विषय भूमि।

आगे यह भी सूचित किया जाता है कि बोर्ड ने अपने सीबीआर संख्या 23 दिनांक 13.09.2017 के माध्यम से उक्त संपत्ति को आरएस संख्या 50/2, जीएलआरएस संख्या 388/255 आवासीय भवन के प्रयोजन के लिए भूमि तल में 277.44 वर्ग मीटर और प्रथम तल में 207.92 वर्ग मीटर के आवासीय भवन के प्रयोजन के लिए।

इस संबंध में सूचित किया जाता है कि विषय निर्माण का निरीक्षण इंजीनियरिंग अनुभाग द्वारा दिनांक 20.04.2022 को किया गया था और पाया गया कि विषय स्थल पर स्वीकृत योजना से कोई विचलन नहीं है।

इसलिए, बोर्ड छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत आवश्यक विषय संपत्ति के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 09: स्वीकृत भवन योजना के संबंध में पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने पर विचार एवं अनुमोदन किया गया छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 246 के तहत आवश्यक जीएलआरएस नंबर 388/255, संबंधित आरएस नंबर 50/2, दरवाजा नंबर 1/48, ऑफिसर्स लेन रोड, वेटरन लाइन्स, सी पल्लावरम, चेन्नई- 600 043 वाली भूमि में।

10. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करना

श्री एस पार्थसारथी, मेसर्स त्रिपदम लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नंबर 30, 2 स्ट्रीट, वीजीपी मर्फी स्कवायर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए प्लॉट नंबर 21 में, वीजीपी मर्फी स्कवायर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016. सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर IV) में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस नंबर 369 भाग, आरएस नंबर 1461 भाग, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत विषय भूमि।

पार्टी ने भू-तल में 1808 वर्ग फुट, पहली मंजिल में 2283 वर्ग फुट और दूसरी मंजिल में 2258 वर्ग फुट में आरसीसी फुटिंग, आरसीसी कॉलम आदि के साथ वाणिज्यिक भवन का अनाधिकृत निर्माण किया है स्वीकृत योजना से हटकर पार्टी ने भी एफएसआई प्रतिबंधों और भवन उपनियमों का उल्लंघन कर छावनी बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना 2106 वर्ग फुट के तीसरे तल में वाणिज्यिक भवन का निर्माण किया है।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239 (1) और 247 के तहत सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0676 दिनांक 10.03.2022 के तहत नोटिस जारी किए और पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0677 दिनांक 10.03.2022। पुलिस प्राधिकारियों से भी अनाधिकृत निर्माण/विचलन निर्माण के विषय में छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239 (2) और 239 (4) के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 10: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार किया और मंजूरी दी और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

11. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करना

श्री जी कन्नन द्वारा किए गए अनधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए, नंबर 5/46, सेवन वेल्स 2 स्ट्रीट, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में दरवाजा नंबर 123, प्लॉट नंबर 138, गांधी स्ट्रीट, कलैग्गर नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016. जीएलआरएस नंबर 264/73, आरएस नंबर 1910 भाग वाली विषय भूमि, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत, सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर II) में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित है।

पार्टी ने स्वीकृत योजना से भटक कर छत के स्तर तक आरसीसी फुटिंग, आरसीसी कॉलम आदि के साथ ग्राउंड फ्लोर में 720.55 वर्ग फुट के अनधिकृत निर्माण में लिप्त है।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239 (1) और 247 के तहत सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/1052 दिनांक 07.06.2021 के तहत नोटिस जारी किए और पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/1053

दिनांक 07.06.2021. पुलिस प्राधिकारियों से भी अनाधिकृत निर्माण/विचलन निर्माण के विषय में छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239 (2) और 239 (4) के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 11: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार किया और मंजूरी दी और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

12. छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करना

श्रीमती फातिमा बी, नं 13/1, मुखथनजी स्ट्रीट, अलंदूर, चेन्नई - 600 016 द्वारा द्वार संख्या 14/153-ए, गांधी स्ट्रीट, कलैगनार नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 में किए गए अनधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए। सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर II) में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस नंबर 264 भाग, रु संख्या 1910 भाग, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत विषय भूमि।

पार्टी ने स्वीकृत योजना से भटककर आरसीसी फुटिंग, आरसीसी कॉलम आदि के साथ ग्राउंड फ्लोर में 225.00 वर्ग फुट का अनाधिकृत निर्माण किया है।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239(1) और 247 के तहत सीबीएसटीएम के पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/2060 दिनांक 15.10.2020 के तहत नोटिस जारी किए और पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/2061 दिनांक 15.10.2020. पुलिस प्राधिकारियों से भी अनाधिकृत निर्माण/विचलन निर्माण के विषय में छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239 (2) और 239 (4) के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248(1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 12: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार किया और मंजूरी दी और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

13. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करना

श्रीमती जमुना, संख्या 14/80-ए, कन्नगी स्ट्रीट, कलैगनार नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016 द्वारा किए गए अनाधिकृत निर्माण पर विचार करने के लिए नंबर 14/80-ए, कन्नगी स्ट्रीट, कलैगनार नगर, सेंट थॉमस माउंट, चेन्नई - 600 016. सेंट थॉमस माउंट (वार्ड नंबर II) में अधिसूचित नागरिक क्षेत्र के बाहर स्थित जीएलआरएस नंबर 264 भाग, रु संख्या 1910 भाग, बी 2 भूमि के रूप में वर्गीकृत विषय भूमि।

पार्टी ने स्वीकृत योजना से हटकर 389.00 वर्ग फुट भूतल में और 389.00 वर्ग फुट प्रथम तल में आरसीसी फुटिंग, आरसीसी कॉलम आदि के साथ अनाधिकृत निर्माण में लिप्त है।

इस संबंध में, छावनी बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 247 और 239 (1) के तहत सीबीएसटीएम पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0831 दिनांक 29.03.2022 के तहत नोटिस जारी किए और पत्र संख्या एसटीएम/वर्क्स/8/0832 दिनांक 28.03.2022. पुलिस प्राधिकारियों से भी अनाधिकृत निर्माण/विचलन निर्माण के विषय में छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 239 (2) और 239 (4) के तहत कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।

इसलिए, बोर्ड इस संबंध में आगे की कार्रवाई करने के लिए छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार कर सकता है।

संबंधित फाइल और कार्यालय रिपोर्ट को पटल पर रखा गया है।

संकल्प सं: 13: बोर्ड ने छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 248 (1) के तहत नोटिस जारी करने पर विचार किया और मंजूरी दी और पार्टी द्वारा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन पूरे होने पर, सीईओ छावनी अधिनियम 2006 की धारा 320 के तहत नोटिस जारी करने के लिए अधिकृत है।

14. श्री एल कमला कन्नन, राजस्व अधीक्षक को एनओसी

श्री एल कमलकन्नन, राजस्व अधीक्षक, छावनी बोर्ड को थाईलैंड जाने के लिए वीजा प्राप्त करने के लिए अनुदान एनओसी पर विचार और अनुमोदन करना। संबंधित दस्तावेज मेज पर रखे गए हैं।

संकल्प सं: 14: मई 2022 के महीने में 6 दिनों की अवधि के लिए राजस्व अधीक्षक श्री एल कमलकन्नन को थाईलैंड जाने के लिए एनओसी पर विचार किया गया और स्वीकृत किया गया।

sd/-
(ब्रिग शिव टी. वीएसएम)
राष्ट्रपति छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम

sd/-
(सी दिनेश कुमार रेड्डी)
सदस्य सचिव और
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
छावनी बोर्ड
सेंट थॉमस माउंट सह पल्लवारम

दिनांक:30-04-2022